दैनिक भास्कर विदिशा 09-04-2022

नाबलिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

विदिशा | गंजबासौदा न्यायालय नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो तहसील गंजबासौदा ने अभियुक्त गंजबासौदा को धारा पॉक्सो एक्ट में नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जानकारी अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि 1 मई 2020 को वह ड्यूटी पर था। घर पर उसकी पत्नी व पीड़िता, पीड़िता की बहन थी और बताया कि उसकी पुत्री 15 साल की कहीं चली गई है। उसे शक है कि उसका पड़ोसी उसकी नाबालिग लड़की को शादी करने के लिए बहला फुसलाकर ले गया है। जिस पर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में विचार के बाद पीड़ित व साक्षी गणों के कथन कराए गए एवं एडीपीओ के तर्क से सहमत होकर अभियुक्त को दोषी पाया गया।